न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	10/2023
दायर दिनांक	:	06.04.2023
निर्णय दिनांक	:	03.07.2024

1. भोमा पुत्र लाल्या जाति मीना, निवासी कुशाला का बास कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
2. नायब तहसीलदार भाण्डारेज
3. कन्हैयालाल पुत्र सुन्दरलाल जाति मीना, निवासी मोती का बास कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा का रहने वाला है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का पडौसी खातेदार है जो आये दिन सीमा विवाद करता है। आराजी खसरा नम्बर 1699, 1700, 1701 वाके ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रार्थी से सीमा विवाद कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2019 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 3 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश फरमावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 1699, 1700, 1701 वाके ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर जरिए पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान कर दिया जाने, किसी न्यायालय का स्थगन न होने का कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी

न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1699, 1700, 1701 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)